Part – I

A

न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम मामलात) **(सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)** **पीठासीन अधिकारी – सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre)** निर्णय दिनांक – 07 अगस्त, 2026 विशेष सेशन प्रकरण संख्या – 153/2024 सीएनआर संख्या – RJCH010012962024 (प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 43/2023 पुलिस थाना कोतवाली चूरू)	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री रोशन सिंह राठौड़, योग्य विशेष लोक अभियोजक चूरू
ACCUSED	1. भगवानाराम पुत्र बृजलाल उम्र 40 वर्ष निवासी खटीकों का मौहल्ला वार्ड संख्या 53 पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू 2. राजकुमार पुत्र भागीरथ उम्र 43 वर्ष निवासी खटीकों का मौहल्ला वार्ड संख्या 53 पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू
REPRESENTED BY	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्तागण – अभियुक्तगण की ओर से।

B

Date of Offence	11.02.2023
Date of FIR	11.02.2023
Date of Chargesheet	08.10.2024
Date of Framing of Charges	25.04.2025
Date of commencement of evidence	31.10.2025
Date on which judgment is reserved	07.08.2026
Date of the Judgement	07.08.2026
Date of the Sentencing Order, if any	–

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrests	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC
1	भगवानाराम	13.02.2023	16.02.2023	136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	13.02.2023 से 16.02.2023 तक
2	राजकुमार	21.02.2023	21.02.2023	136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	21.02.2023 से 21.02.2023 तक

PART–II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
PW–1	कविता	बरामदगी एवं जब्ती की साक्षी।
PW–2	राजेश राहड़	बरामदगी, अभियुक्त की पहचान एवं जब्ती का साक्षी।

PW–3	गणेश नारायण	अभियुक्त भगवानाराम की गिरफ्तारी का साक्षी।
PW–4	रामचन्द्र	अभियुक्त राजकुमार की गिरफ्तारी एवं तस्दीक घटनास्थल का साक्षी।
PW–5	राजेश कुमार	मालखाना प्रभारी।
PW–6	दशरथ सिंह	बरामदगीकर्ता एवं प्रथम अनुसंधानकर्ता।
PW–7	लक्ष्मण सिंह	अनुसंधान अधिकारी।
PW–8	नौरतनमल	पिकअप वाहन विक्रय (इकरारनामा) का साक्षी।

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENSE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी–1	फर्द जब्ती एवं बरामदगी।
2.	प्रदर्श पी–2	अभियुक्त भगवानाराम की फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी।
3.	प्रदर्श पी–3	अभियुक्त राजकुमार की फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी।
4.	प्रदर्श पी–4	अभियुक्त राजकुमार की फर्द तस्दीक घटनास्थल।
5.	प्रदर्श पी–5	मालखाना रजिस्टर प्रविष्टि।
6.	प्रदर्श पी–5(अ)	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7.	प्रदर्श पी–6	प्रथम सूचना रिपोर्ट।
8.	प्रदर्श पी–7	नक्शा मौका।
9.	प्रदर्श पी–7(अ)	हालात मौका।
10.	प्रदर्श पी–8	अभियुक्त भगवानाराम की फर्द तस्दीक घटनास्थल।
11.	प्रदर्श पी–9	अभियुक्त भगवानाराम की सूचना फर्द (धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम)।
12.	प्रदर्श पी–10	पिकअप वाहन का विक्रय इकरारनामा।

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
–	–	–

– नि र्ण य –

दिनांक – 07 अगस्त, 2026

(1) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 11.02.2023 को प्रातः 09:06 बजे हैड कांस्टेबल दशरथ सिंह मय जाप्ता डी.ओ. ड्यूटी एवं गश्त पर थे। गश्त के दौरान लगभग 09:45 बजे चाँदनी चौक, चूरू पर एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि सर्किट हाउस के पीछे खड़ी एक पिकअप में बिजली विभाग के कटे हुए एल्युमिनियम के तार भरे हुए हैं, जिन्हें चालक बेचने के उद्देश्य से ले जा रहा है। सूचना पर पुलिस दल मौके पर पहुँचा तो पिकअप चालक पुलिस को देखकर वाहन लेकर भागने लगा। पीछा करने पर वह वार्ड नम्बर 53, खटीकों के मोहल्ले, चूरू में पिकअप छोड़कर एक अन्य व्यक्ति के साथ भीड़ का लाभ उठाकर फरार हो गया। मौके पर उपस्थित राजेश कुमार डी.आर. ने फरार चालक की पहचान भानी उर्फ भगवानाराम, निवासी वार्ड नम्बर 53, चूरू के रूप में की। स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध नहीं होने पर पुलिसकर्मियों को मौतबीर बनाकर पिकअप की तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 15 क्विंटल बिजली विभाग के कटे हुए एल्युमिनियम के तार तथा एक लावा कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ जिनको नियमानुसार जरिए फर्द जब्त किया गया तथा फर्द जब्ती के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 43/2023 अन्तर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम, 2003 में दर्ज कर बाद अनुसन्धान अभियुक्तगण भगवानाराम व राजकुमार के विरुद्ध उक्त धारा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(2) बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण पर धारा 136 विद्युत अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

(3) अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य अभियोजन में उपरोक्तानुसार पी.डब्ल्यू. 1 लगायत पी.डब्ल्यू. 8 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–10 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

(4) अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष होना कथन किया है तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया है। अभियुक्तगण को बचाव साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई।

(5) पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः–

1. **क्या अभियोजन यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 11.02.2023 को समय लगभग 12:10 बजे खटीकों का मोहल्ला, वार्ड संख्या 53, कस्बा चूरू में अभियुक्तगण के कब्जेशुदा वाहन से लगभग 15 क्विंटल एल्युमिनियम के विद्युत तार बरामद हुए, जिन्हें अभियुक्त ने विद्युत विभाग की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक चोरी कर अपने कब्जे एवं परिवहन में रखा ?**
2. **यदि उक्त अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होना पाये जो है तो अभियुक्तगण को किस प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा ?**

(6) इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों की सिद्धि के अनुक्रम में जिन गवाहान को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है उनकी साक्ष्य इस प्रकार से हैंः–

(7) अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 1 कविता ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 11.02.2023 को वह पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में महिला कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थी। उक्त दिन प्रातः 09:00 बजे एचसी दशरथ सिंह, कांस्टेबल लालचंद तथा सरकारी थार वाहन के चालक राजेश कुमार के साथ डीओ ड्यूटी एवं गश्त हेतु रवाना हुए। प्रातः लगभग 09:45 बजे चांदनी चौक पहुँचने पर एचसी दशरथ सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सर्किट हाउस के पास एक पिकअप गाड़ी में बिजली के तार भरे हुए हैं, जिन्हें बेचने के लिए लाया गया है। उक्त सूचना से पुलिस दल को अवगत कराया गया। तत्पश्चात लगभग 10:15 बजे सर्किट हाउस पहुँचने पर पुलिस दल को देखकर पिकअप चालक वाहन लेकर भागने लगा, जिसका पुलिस वाहन से पीछा किया गया। खटीकों के मोहल्ला, वार्ड नम्बर 53, चूरू में पहुँचने पर चालक पिकअप छोड़कर भीड़ का लाभ उठाकर फरार हो गया। वाहन चालक राजेश कुमार ने फरार व्यक्ति का नाम भगवानाराम होना बताया। जब्ती कार्यवाही हेतु

उपस्थित व्यक्तियों से स्वतन्त्र मोटबीर बनने का अनुरोध किया गया किन्तु कोई तैयार नहीं हुआ, जिस पर कांस्टेबल लालचंद एवं कांस्टेबल राजेश को मोटबीर नियुक्त किया गया। मौके पर खड़ी सफेद रंग की बोलेरो पिकअप नम्बर RJ–49 GA–2351 में एल्युमिनियम के बिजली के तार भरे हुए पाए गए, जिनका मौके पर किया गया वजन लगभग 15 क्विंटल था। पिकअप की टूल बॉक्स से एक काले रंग का मोबाइल भी बरामद हुआ। आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर पिकअप, उसमें भरे बिजली के तार तथा मोबाइल को पुलिस थाना लाया गया। फर्द जब्ती एवं बरामदगी एक बोलेरो पिकअप नम्बर RJ–49 GA–2351 मय बिजली के तार वजनी अनुमानित 15 क्विंटल, प्रदर्श पी–1 है। गवाह ने **जिरह** में यह कहा है कि भागने वाले मुलजिम को वह स्वयं नहीं जानती थी तथा उसका नाम सरकारी गाड़ी के चालक कानि. राजेश कुमार द्वारा बताया गया था। मौके पर फर्दात दशरथ सिंह द्वारा हाथ से तैयार की गई थी। मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही में कितना समय लगा था, यह उसे आज याद नहीं है। यह सही है कि मौके पर बरामदशुदा तारों का वजन नहीं किया गया था तथा उनका वजन अन्दाजन ही लिखा गया था। नक्शा मौका व हालात मौका उसी दिन तैयार किए गए थे या नहीं, यह उसे मालूम नहीं है। मौके पर विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी को बुलाकर बरामदशुदा तारों की तस्दीक नहीं करवाई गई थी। विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा बाद में कोई लिखित रिपोर्ट पेश की गई थी या नहीं, यह उसे मालूम नहीं है। मौके पर तार काटने का कोई कट्टर आदि उसके सामने बरामद नहीं किया गया था। मौके से पिकअप को थाने पर कौन चलाकर लाया था, यह उसे आज याद नहीं है।

(8) अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 2 राजेश राहड़ ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 11.02.2023 को वह पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में कांस्टेबल चालक के पद पर कार्यरत था। उक्त दिन प्रातः 09:30 बजे एचसी दशरथ सिंह, कांस्टेबल लालचंद एवं महिला कांस्टेबल कविता के साथ सरकारी थार वाहन से डीओ ड्यूटी एवं गश्त हेतु कस्बा चूरू के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना हुआ। प्रातः लगभग 09:45 बजे चांदनी चौक पहुँचने पर एचसी दशरथ सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सर्किट हाउस के पास एक पिकअप गाड़ी में बिजली के तार भरे हुए हैं, जिन्हें बेचने के लिए लाया गया है। उक्त सूचना से पुलिस दल को अवगत कराया गया। तत्पश्चात लगभग 10:15 बजे सर्किट हाउस पहुँचने पर पुलिस दल को देखकर पिकअप चालक वाहन लेकर भागने लगा, जिसका पुलिस वाहन से पीछा किया गया। खटीकों के मोहल्ला, वार्ड नम्बर 53, चूरू में पहुँचने पर चालक पिकअप छोड़कर भीड़ का लाभ उठाकर फरार हो गया। गवाह ने बताया कि वह उक्त चालक को पूर्व से जानता था, जिसका नाम भगवानाराम था। जब्ती कार्यवाही हेतु उपस्थित व्यक्तियों से स्वतन्त्र मोटबीर बनने का अनुरोध किया गया किन्तु कोई तैयार नहीं हुआ, जिस पर गवाह एवं कांस्टेबल लालचंद को मोटबीर नियुक्त किया गया। मौके पर खड़ी सफेद रंग की बोलेरो पिकअप नम्बर RJ–49 GA–2351 में एल्युमिनियम के बिजली के तार भरे हुए पाए गए, जो अभियुक्त द्वारा कहीं से काटकर लाए गए थे। पिकअप चालक एवं मालिक भगवानाराम की तलाश की गई किन्तु वह नहीं मिला। गवाह के अनुसार तारों का मौके पर वजन नहीं किया गया था तथा उनका अनुमानित वजन लगभग 15 क्विंटल था। पिकअप की टूल बॉक्स से एक काले रंग का मोबाइल भी बरामद कर जब्त किया गया। आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर पिकअप, उसमें भरे बिजली के तार तथा मोबाइल को पुलिस थाना लाया गया। फर्द जब्ती एवं बरामदगी एक बोलेरो पिकअप नम्बर RJ–49 GA–2351 मय बिजली के तार वजनी अनुमानित 15 क्विंटल, प्रदर्श पी–1 है। गवाह ने **जिरह** में यह कहा है कि वह कभी बीट कांस्टेबल नहीं रहा। भगवानाराम अपनी स्वयं की पिकअप लेकर कई बार गश्त के दौरान उन्हें मिलता रहता था, जिस कारण वह उसे पहले से जानता था। भगवानाराम की उम्र करीब 30 वर्ष थी। भगवानाराम की ऊंचाई करीब साढ़े पांच फुट तथा उसका वजन करीब 75–80 किलो था। मौके पर फर्द प्रदर्श पी–1 दशरथ सिंह द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार की गई थी। यह सही है कि फर्द प्रदर्श पी–1 में मौके पर कम्प्यूटर साथ लेकर जाने का अंकन नहीं है। मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही में कितना समय लगा था, यह उसे आज याद नहीं है। यह सही है कि मौके पर बरामदशुदा तारों का वजन नहीं किया गया था तथा उनका वजन अन्दाजन ही लिखा गया है। बरामदशुदा तारों के दो बण्डल थे। मौके पर विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी को बुलाकर बरामदशुदा तारों की शिनाख्त एवं तस्दीक नहीं करवाई गई थी। विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा बाद में कोई लिखित रिपोर्ट पेश की गई थी या नहीं, यह उसे मालूम नहीं है। मौके पर तार काटने का कोई कट्टर आदि उसके सामने बरामद नहीं किया गया था। मौके से पिकअप को थाने पर कौन चलाकर लाया था, यह उसे आज याद नहीं है।

(9) अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 3 गणेश नारायण ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 13.02.2023 को वह पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उक्त दिन पुलिस थाना कोतवाली, चूरू के मुकदमा संख्या 43/2023 में अनुसन्धान अधिकारी एएसआई लक्ष्मण सिंह द्वारा थाना परिसर में अभियुक्त भगवानाराम को गिरफ्तार किया गया जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–2 है।

(10) अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 4 रामचन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 21.02.2023 को वह पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उक्त दिन पुलिस थाना कोतवाली, चूरू के मुकदमा संख्या 43/2023 में अनुसन्धान अधिकारी एएसआई लक्ष्मण सिंह द्वारा अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार किया गया जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–3 है। फर्द तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त राजकुमार प्रदर्श पी–4 है। गवाह ने **जिरह** में यह स्वीकार किया कि मुलजिम राजकुमार स्वयं कोतवाली थाना चूरू में आया था तथा प्रदर्श पी–4 की बरामदगी के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी तथा उक्त स्थान अनुसन्धान अधिकारी को पूर्व से ज्ञात था।

(11) अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 5 राजेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 11.02.2023 को वह पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में हेड कांस्टेबल इंचार्ज मालखाना के पद पर कार्यरत था। उक्त दिन पुलिस थाना कोतवाली, चूरू के मुकदमा संख्या 43/2023 में अनुसन्धान अधिकारी हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह द्वारा वजह सबूत एल्युमिनियम के तार वजनी 15 क्विंटल, एक बोलेरो गाड़ी तथा एक मोबाइल मालखाना में जमा करवाए गए, जिनकी मालखाना रजिस्टर में क्रमांक 561 पर प्रविष्टि की गई। मालखाना रजिस्टर की प्रविष्टि प्रदर्श पी–5 है तथा उसकी प्रतिलिपि प्रदर्श पी–5 ए है। गवाह ने **जिरह** में यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा वजह सबूत जमा करते समय तारों के बण्डलों का वजन नहीं किया गया था तथा वाहन के मालिकाना हक से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया गया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि प्राप्त वजह सबूत सीलबन्द अवस्था में नहीं था।

(12) अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 6 दशरथ सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 11.02.2023 को वह पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उक्त दिन वह राजेश राहड़ कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल लालचंद एवं महिला कांस्टेबल कविता के साथ डीओ ड्यूटी एवं गश्त हेतु कस्बा चूरू के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना हुआ। प्रातः लगभग 09:45 बजे चांदनी चौक पहुँचने पर उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सर्किट हाउस के पास एक पिकअप गाड़ी में बिजली के तार भरे हुए हैं, जिन्हें बेचने के लिए लाया गया है। उक्त सूचना से उसने हमराह पुलिसकर्मियों को अवगत कराया। तत्पश्चात पुलिस दल लगभग 10:15 बजे सर्किट हाउस पहुँचा, जहाँ पुलिस दल को देखकर पिकअप चालक वाहन लेकर भागने लगा, जिसका पीछा किया गया। खटीकों के मोहल्ला, वार्ड नम्बर 53, चूरू में पहुँचने पर चालक पिकअप छोड़कर भीड़ का लाभ उठाकर फरार हो गया। स्वतन्त्र मोटबीर बनने हेतु उपस्थित व्यक्तियों से अनुरोध किया गया किन्तु कोई तैयार नहीं हुआ, जिस पर कांस्टेबल चालक राजेश राहड़ एवं कांस्टेबल लालचंद को मोटबीर नियुक्त किया गया। मौके पर खड़ी बोलेरो पिकअप नम्बर RJ–49 GA–2351 में एल्युमिनियम के बिजली के तार भरे हुए पाए गए। चालक राजेश राहड़ द्वारा पिकअप चालक एवं मालिक का नाम भगवानाराम बताया गया, जिसकी तलाश की गई किन्तु वह नहीं मिला। पिकअप में भरे तारों का अनुमानित वजन लगभग 15 क्विंटल था तथा तलाशी से यह प्रतीत हुआ कि उक्त तार बिजली विभाग की सहमति के बिना चोरी कर लाए गए थे। पिकअप की टूल बॉक्स से एक काले रंग का मोबाइल भी बरामद कर जब्त किया गया। आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर पिकअप, बिजली के तार एवं मोबाइल को पुलिस थाना लाया गया। फर्द जब्ती एवं बरामदगी एक बोलेरो पिकअप नम्बर RJ–49 GA–2351 मय बिजली के तार वजनी अनुमानित 15 क्विंटल, प्रदर्श पी–1 है। उक्त जब्ती के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 दर्ज की गई। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–7 है। फर्द तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त भगवानाराम प्रदर्श पी–8 है। फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त भगवानाराम प्रदर्श पी–2 है। गवाह ने **जिरह** में यह स्वीकार किया कि तारों के करीब 20–25 बण्डल थे, जिनका उसके द्वारा वजन नहीं किया गया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 में तारों का जो वजन अंकित है, वह अन्दाजन लिखा गया है, इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि किस बण्डल का कितना वजन था। वह प्रत्येक बण्डल के तारों की लम्बाई भी नहीं बता सकता। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी को मौके पर बुलाकर बरामदशुदा तारों की

शिनाख्त एवं तस्दीक नहीं करवाई गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–8 के मौके पर वह पहले जा चुका था। गवाह ने यह भी कहा कि आज वह भागने वाले मुलजिमान की कद, काठी एवं हुलिया नहीं बता सकता।

(13) अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 7 लक्ष्मण सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 11.02.2023 को वह पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उक्त दिन पुलिस थाना कोतवाली, चूरू के मुकदमा संख्या 43/2023 का अनुसन्धान उसे प्राप्त हुआ। अनुसन्धान के दौरान उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी–7 है तथा उसका हालात मौका प्रदर्श पी–7 ए है। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त भगवानाराम प्रदर्श पी–2 है। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त राजकुमार प्रदर्श पी –3 है। अभियुक्त भगवानाराम की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सूचना फर्द प्रदर्श पी–9 है, जिसमें अभियुक्त द्वारा यह सूचना दी गई कि वह उस स्थान की निशानदेही कर सकता है जहाँ से दूसरी पिकअप में बिजली विभाग के एल्युमिनियम के तार लोड कर अपनी पिकअप में लाया था। उक्त सूचना के आधार पर तैयार फर्द तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त भगवानाराम प्रदर्श पी –8 है। फर्द तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त राजकुमार प्रदर्श पी–4 है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–5 ए है। अनुसन्धान के दौरान पिकअप से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त कर पत्रावली में शामिल किए गए तथा गवाह दशरथ सिंह, लालचंद, राजेश, कविता एवं नौरतमल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। गवाह ने **जिरह** में यह स्वीकार किया कि विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी को मौके पर बुलाकर कोई तफ्तीश नहीं की गई तथा न ही किसी को गवाह रखा गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि विद्युत विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी से जब्तशुदा तारों की कोई तस्दीक एवं शिनाख्त नहीं करवाई गई थी तथा इस प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत तार चोरी के सम्बन्ध में कोई शिकायत या प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि मौके से किसी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके अनुसन्धान के दौरान जब्तशुदा विद्युत तारों का वजन नहीं करवाया गया था तथा अनुसन्धान में यह आया था कि जब्तशुदा विद्युत तारों का वजन अन्दाजन लिखा गया था, जिन्हें तोला नहीं गया था। गवाह ने यह भी कहा कि विद्युत तारों के कुल दो बण्डल थे, जिनका अलग–अलग वजन वह नहीं बता सकता। उसने यह भी स्वीकार किया कि जब्ती स्थल आबादी क्षेत्र में स्थित था। नक्शा मौका प्रदर्श पी –7 के आसपास के लोगों को गवाह नहीं रखा गया तथा उसने स्वयं कहा कि कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को गवाह बनने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

(14) अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 8 नोरतनमल ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसने वर्ष 2012 में पिकअप वाहन संख्या RJ–49 GA–2351 क्रय किया था, जिसे उसने नवम्बर 2022 में भगवानाराम खटीक को 4,00,000/– में इकरारनामे के माध्यम से विक्रय कर दिया था। वाहन विक्रय इकरारनामा प्रदर्श पी–10 है।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – एक</u>

(15) विचारणीय प्रश्न संख्या एक के सन्दर्भ में बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित समस्त गवाहों के कथन परस्पर सुसंगत एवं विश्वसनीय हैं। पुलिस दल को प्राप्त विश्वसनीय मुखबिर सूचना के आधार पर की गई कार्यवाही के दौरान अभियुक्त भगवानाराम पुलिस को देखकर पिकअप वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिससे उसका अपराधबोध स्पष्ट परिलक्षित होता है। पिकअप से लगभग 15 क्विंटल एल्युमिनियम के विद्युत तार एवं मोबाइल बरामद हुए, जिनकी जब्ती, एफ.आई.आर., गिरफ्तारी, मालखाना प्रविष्टि एवं अनुसन्धान सम्बन्धी समस्त दस्तावेज अभियोजन द्वारा विधिवत सिद्ध किए गए हैं। पिकअप वाहन के भगवानाराम के कब्जे में होने का तथ्य भी विक्रय इकरारनामा से प्रमाणित हुआ है। अभियोजन का तर्क है कि उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह सन्देह से परे सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण ने विद्युत विभाग के एल्युमिनियम के तारों का अवैध रूप से कब्जा एवं परिवहन किया, जिससे उनके विरुद्ध धारा 136 विद्युत

अधिनियम, 2003 का अपराध पूर्णतः सिद्ध होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर विधि के अनुसार दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई।

(16) इसके विपरीत, अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन का सम्पूर्ण मामला सन्देहास्पद एवं केवल पुलिस साक्षियों पर आधारित है, जिस पर बिना स्वतन्त्र एवं ठोस पुष्टिकरण के विश्वास नहीं किया जा सकता। कथित बरामदगी के समय कोई भी स्वतन्त्र व्यक्ति गवाह नहीं बनाया गया तथा आबादी क्षेत्र में घटना होने के बावजूद किसी स्वतन्त्र साक्षी को कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त भगवानाराम मौके से भाग गया किन्तु किसी भी गवाह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किस दिशा में भागा तथा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान भी अनुसन्धान अधिकारी एवं बरामदगी करने वाले गवाह अभियुक्त का हुलिया, कद–काठी अथवा पहचान सम्बन्धी विवरण नहीं बता सके। अभियोजन द्वारा बरामद तारों का न तो मौके पर और न ही बाद में वास्तविक वजन कराया गया, बल्कि मात्र अनुमानित रूप से 15 क्विंटल लिखा गया। किसी भी विद्युत विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को मौके पर बुलाकर बरामद तारों की शिनाख्त अथवा तस्दीक नहीं करवाई गई तथा न ही विद्युत विभाग द्वारा तार चोरी की कोई रिपोर्ट, शिकायत अथवा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे यह सिद्ध ही नहीं होता कि बरामद तार वास्तव में विद्युत विभाग के थे अथवा चोरी के थे। बरामद तारों का स्रोत भी अनुसन्धान में स्थापित नहीं किया गया। जब्तशुदा माल सीलबंद अवस्था में मालखाने में जमा नहीं कराया गया , जिससे उसकी चेन ऑफ कस्टडी (Chain of Custody) सुरक्षित एवं प्रमाणित नहीं हुई। अभियोजन साक्षियों के कथनों में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, जैसे फर्द जब्ती हाथ से अथवा कम्प्यूटर पर तैयार किए जाने, तारों के बण्डलों की संख्या, घटनास्थल पर की गई कार्यवाही तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में एकरूपता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को सन्देह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

(17) बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहों की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों की सिद्धि के अनुक्रम में परीक्षण करने पर सर्वप्रथम **बरामदगी एवं जब्ती की विश्वसनीयता** का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अभियोजन का सम्पूर्ण मामला दिनांक 11.02.2023 को बोलेरो पिकअप वाहन संख्या RJ–49 GA–2351 से लगभग 15 क्विंटल एल्युमिनियम के विद्युत तार बरामद होने तथा अभियुक्त भगवानाराम के पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर भाग जाने के कथन पर आधारित है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पर यह दायित्व था कि वह बरामदगी की सम्पूर्ण कार्यवाही को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सन्देह से परे प्रमाणित करे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन के किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया कि बरामदशुदा एल्युमिनियम के तारों पर विद्युत विभाग का कोई विशिष्ट चिन्ह, नम्बर अथवा पहचान अंकित थी, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित हो सके कि वे विद्युत विभाग की सम्पत्ति थे। अभियोजन का यह भी कथन है कि अभियुक्तगण उक्त तारों को कहीं से काटकर लाए थे किन्तु अनुसन्धान के दौरान उस स्थान का कोई प्रत्यक्ष एवं स्वतन्त्र साक्ष्य संकलित नहीं किया गया जहाँ से कथित रूप से तार काटे गए थे। न तो तार काटने में प्रयुक्त कोई कटर, औजार अथवा अन्य उपकरण बरामद किया गया और न ही किसी प्रत्यक्षदर्शी को इस तथ्य के समर्थन में परीक्षित कराया गया कि अभियुक्तगण को विद्युत तार काटते अथवा उन्हें वाहन में भरते हुए देखा गया था। केवल पिकअप वाहन से एल्युमिनियम के तारों का मिल जाना अपने–आप में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता कि उक्त तार चोरी के थे अथवा अभियुक्तगण द्वारा ही चोरी कर लाए गए थे। बरामदगी की इस महत्वपूर्ण कड़ी को अभियोजन स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं कर सका, जिससे बरामदगी की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर स्वाभाविक सन्देह उत्पन्न होता है।

(18) **बरामदशुदा विद्युत तारों की शिनाख्त एवं तस्दीक का अभाव –** अभियोजन का मूल आरोप यह है कि बरामद एल्युमिनियम के तार विद्युत विभाग के चोरीशुदा तार थे। किन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य के समर्थन में कोई स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पी.डब्ल्यू. 1 कविता, पी.डब्ल्यू. 2 राजेश राहड़, पी.डब्ल्यू. 6 दशरथ सिंह तथा अनुसन्धान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 7 लक्ष्मण सिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि न तो मौके पर विद्युत विभाग के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को बुलाकर

बरामद तारों की पहचान एवं तस्दीक करवाई गई और न ही अनुसन्धान के दौरान किसी अधिकारी से उनकी शिनाख्त करवाई गई। मात्र पुलिस अधिकारियों के कथन के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बरामद तार वास्तव में विद्युत विभाग के ही थे। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन ने **विद्युत विभाग की ओर से कोई प्राथमिकी, शिकायत, प्रार्थना–पत्र अथवा ऐसा कोई दस्तावेज** प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्थापित हो सके कि विभाग के किसी स्थान से विद्युत तार चोरी हुए थे। अनुसन्धान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 7 लक्ष्मण सिंह ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि विद्युत विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। जब स्वयं सम्बन्धित विभाग द्वारा चोरी की पुष्टि नहीं की गई, तब केवल पुलिस अधिकारियों की धारणा के आधार पर बरामद तारों को चोरीशुदा मान लेना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभियोजन के अनुसार बरामद तारों का **वजन लगभग 15 क्विंटल** था किन्तु पी.डब्ल्यू. 1 कविता, पी.डब्ल्यू. 2 राजेश राहड़, पी.डब्ल्यू. 5 राजेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 6 दशरथ सिंह तथा पी.डब्ल्यू. 7 लक्ष्मण सिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि बरामद तारों का वास्तविक वजन कभी नहीं किया गया तथा 15 क्विंटल वजन **मात्र अनुमान के आधार** पर अंकित किया गया। पी.डब्ल्यू. 6 दशरथ सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि वह किसी बण्डल का पृथक–पृथक वजन अथवा लम्बाई नहीं बता सकता। इस प्रकार बरामद माल का सबसे महत्वपूर्ण विवरण ही अनुमान पर आधारित है, जिससे बरामदगी की सत्यता एवं विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

(19) **स्वतन्त्र गवाहों का अभाव –** अभियोजन के अनुसार कथित बरामदगी आबादी क्षेत्र स्थित खटीकों के मोहल्ला, वार्ड संख्या 53, चूरू में हुई, जहाँ पर्याप्त संख्या में व्यक्ति एवं महिलाएँ उपस्थित थी। पी.डब्ल्यू. 1 कविता, पी.डब्ल्यू. 2 राजेश राहड़ तथा पी.डब्ल्यू. 6 दशरथ सिंह ने भी अपने कथनों में भीड़ एकत्रित होना स्वीकार किया है। इसके बावजूद किसी भी स्वतन्त्र व्यक्ति को जब्ती कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया। अभियोजन का स्पष्टीकरण है कि लोगों ने पुलिस एवं न्यायालय के चक्कर में पड़ने से इन्कार कर दिया किन्तु अनुसन्धान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 7 लक्ष्मण सिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि किसी भी व्यक्ति को गवाह बनने हेतु कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि स्वतन्त्र गवाहों को सम्मिलित करने का वास्तविक एवं गंभीर प्रयास किया गया। फलस्वरूप केवल पुलिस कर्मचारियों को ही मोटबीर बनाकर सम्पन्न की गई जब्ती कार्यवाही की विश्वसनीयता का परीक्षण अधिक सावधानी से किया जाना आवश्यक हो जाता है।

(20) **अभियुक्त की पहचान एवं कथित रूप से भागने का तथ्य–** अभियोजन का कथन है कि पुलिस को देखकर अभियुक्त भगवानाराम पिकअप वाहन छोड़कर भाग गया। किन्तु किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया कि अभियुक्त किस दिशा में भागा, कितनी दूरी तक उसका पीछा किया गया अथवा उसे पकड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए। पी.डब्ल्यू. 6 दशरथ सिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वह न्यायालय में अभियुक्त का हुलिया, कद–काठी अथवा पहचान सम्बन्धी विवरण नहीं बता सकता। पी.डब्ल्यू. 1 कविता ने भी स्वीकार किया कि वह अभियुक्त को पहले से नहीं जानती थी तथा उसका नाम उसे केवल राजेश राहड़ द्वारा बताया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की पहचान तथा उसके कथित रूप से मौके से भागने का तथ्य पूर्णतः निर्विवाद नहीं कहा जा सकता।

(21) **जब्तशुदा माल की अभिरक्षा (Chain of Custody)–** जब्तशुदा माल की सुरक्षित अभिरक्षा स्थापित करना अभियोजन का महत्वपूर्ण दायित्व था। पी.डब्ल्यू. 5 मालखाना प्रभारी राजेश कुमार ने स्वीकार किया कि मालखाने में जमा करते समय तारों का वजन नहीं किया गया तथा जब्तशुदा माल सीलबन्द अवस्था में भी नहीं था। इससे यह सुनिश्चित नहीं हो पाता कि जो माल मौके से जब्त किया गया, वही बिना किसी परिवर्तन के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन इस महत्वपूर्ण कड़ी को भी विश्वसनीय साक्ष्य से स्थापित नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षियों के कथनों में भी **महत्वपूर्ण विरोधाभास** दृष्टिगोचर होते हैं। पी.डब्ल्यू. 1 कविता ने अपनी जिरह में कहा कि फर्द जब्ती हाथ से तैयार की गई थी, जबकि पी.डब्ल्यू. 2 राजेश राहड़ ने कहा कि फर्द जब्ती कम्प्यूटर पर तैयार की गई थी। पी.डब्ल्यू. 1 ने अभियुक्त को पहले से नहीं जानना बताया, जबकि पी.डब्ल्यू. 2 ने अभियुक्त को पूर्व से पहचानना बताया। पी.डब्ल्यू. 2 ने दो बण्डल होना बताया, जबकि पी.डब्ल्यू. 6 ने लगभग 20–25 बण्डल होना बताया। किसी भी गवाह को यह स्मरण नहीं कि पिकअप वाहन को थाने कौन लेकर गया तथा कार्यवाही में कितना समय लगा। ये विरोधाभास यद्यपि प्रत्येक अपने–आप में निर्णायक

नहीं हैं किन्तु जब इन्हें अन्य कमियों एवं अनुसन्धान की त्रुटियों के साथ समग्र रूप से देखा जाता है, तब अभियोजन की कहानी पर सन्देह उत्पन्न होता है।

(22) उपर्युक्त समस्त परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन से यह परिलक्षित होता है कि कथित बरामदगी स्वतन्त्र साक्षियों से पुष्ट नहीं है, बरामद तारों की विद्युत विभाग से पहचान एवं तस्दीक नहीं करवाई गई, विभाग द्वारा चोरी की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, बरामद माल का वास्तविक वजन नहीं किया गया, जब्तशुदा माल की सुरक्षित अभिरक्षा (Chain of Custody) स्थापित नहीं हुई, अभियुक्त की पहचान एवं उसके कथित रूप से भागने का तथ्य भी निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं हुआ तथा अनुसन्धान में अनेक महत्वपूर्ण त्रुटियाँ एवं अभियोजन साक्षियों के कथनों में विरोधाभास विद्यमान हैं। ऐसे में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप को सन्देह से परे प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त एवं विश्वसनीय नहीं होने से विचारणीय प्रश्न संख्या –1 का उत्तर अभियुक्तगण के पक्ष में एवं अभियोजन के विरुद्ध जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – दो</u>

(23) विचारणीय प्रश्न संख्या एक के विवेचनाधीन अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 136 विद्युत अधिनियम युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त होने के अधिकारी हैं।

–: <u>आ दे श</u> :–

(24) अतः अभियुक्तगण (1) भगवानाराम पुत्र बृजलाल उम्र 40 वर्ष निवासी खटीकों का मौहल्ला वार्ड संख्या 53 पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू तथा (2) राजकुमार पुत्र भागीरथ उम्र 43 वर्ष निवासी खटीकों का मौहल्ला वार्ड संख्या 53 पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू को धारा 136 विद्युत अधिनियम के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता हैं।

(25) प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत मालखाना या सम्बन्धित थाना में यदि जमा हो तो उनका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे। अभियुक्तगण इस मामले में न्यायालय जमानत पर हैं जिनके न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलकें धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगें।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम मामलात)
(सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)

(26) निर्णय व आदेश आज दिनांक 07 अगस्त, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम मामलात)
(सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)

MOHIT SHARMA
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
2026.08.10 10:54:52 +0530